

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2023/148/.....

दिनांक/03/2024

आदेश

समूह-4 के अंतर्गत स्टोर कीपर के पद हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023 एवं कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27/02/2024 से प्राप्त प्रावीण्य सूची तथा अभिलेख सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कॉलम क्रमांक-3 में दर्शित श्रेणी के अन्तर्गत, स्टोर कीपर (राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित) के पद, सातवे वेतनमान अंतर्गत लेवल-6 (रु. 25300 + अन्य भत्ते) में अस्थायी रूप से, निम्न शर्तों के अधीन, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उपस्थिति दिनांक से नियुक्त कर कॉलम क्रमांक-4 में अंकित कार्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है-

क्र.	नाम, पिता का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	JITENDRA CHORE BALRAM CHORE 36, SURAJ NAGAR, INDORE (M.P.) 452001	SC/NIL/OPEN	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

नियुक्ति की शर्तें

- उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी (मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित पद में) इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है। यह शर्त दोनों पक्षों पर लागू होगी।

क्रमशः -2-

(2)

3. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
4. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण (फिटनेस सर्टिफिकेट) पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
6. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय उसकी शैक्षणिक अहर्ताओं के साथ ही अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ समस्त मूल अभिलेख उपस्थिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जावेगा। अभिलेखों के अपूर्ण होने की स्थिति में उपस्थिति नहीं ली जा सकेगी।
7. यह नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
8. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।(प्रारूप संलग्न)
10. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2005 के अधीन होगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,


कुलसचिव

क्रमशः -3-

(3)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2023/148/259 A

दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. प्रभारी, वि.वि. वैबसाईट, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर की ओर वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, स्थापना/विधि/शैक्षणिक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. संबंधित श्री
8. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/2023/148/.....

दिनांक/03/2024

आदेश

समूह-4 के अंतर्गत सहायक श्रेणी-3 के पद हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023 एवं कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024, भोपाल दिनांक 27/02/2024 से प्राप्त प्रावीण्य सूची तथा अभिलेख सत्यापन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कॉलम क्रमांक-3 में दर्शित श्रेणी के अन्तर्गत, सहायक श्रेणी-3 (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित) के पद, सातवे वेतनमान अंतर्गत लेवल-4 (रु. 19500 + अन्य भत्ते) में अस्थायी रूप से, निम्न शर्तों के अधीन, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, उपस्थिति दिनांक से नियुक्त कर कॉलम क्रमांक-4 में अंकित कार्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है-

क्र.	नाम, पिता का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	PRIYANKA PARTE JEERU SINGH PARTE 36, PARSATOLA, POST BHANDERI, BAIHAR, BLG (M.P.) 481105	ST/NIL/FEMALE	आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, छिन्दवाड़ा (C-2 (37) (AICRP on Potato Improvement)

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष में 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

नियुक्ति की शर्तें

- उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी (मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित मद में) इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।

क्रमशः -2-



(2)

2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा/भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है। यह शर्त दोनों पक्षों पर लागू होगी।
3. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
4. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण (फिटनेस सर्टिफिकेट) पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
6. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय उसकी शैक्षणिक अहर्ताओं के साथ ही अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ समस्त मूल अभिलेख उपस्थिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जावेगा। अभिलेखों के अपूर्ण होने की स्थिति में उपस्थिति नहीं ली जा सकेगी।
7. यह नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
8. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (प्रारूप संलग्न)
10. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2005 के अधीन होगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

राही
कुलसचिव

क्रमशः -3-

(3)

पृष्ठां. क्रमांक स्था0दो/(1)/2023/144/262 A

दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. प्रभारी, वि.वि. वैबसाईट, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर की ओर वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सह संचालक अनुसंधान, आंचलिक अनुसंधान सेवाएं, छिन्दवाड़ा।
6. सहायक कुलसचिव, स्थापना/विधि/शैक्षणिक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/वेतन निर्धारण/पेंशन, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. संबंधित श्री
9. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव